तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परमेश्वर प्रजापत बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 156 / 2020**	
05.10.20	अपीलार्थी परमेश्वर प्रजापत, पता प्रजापत भवन, राजभवन के सामने, होटल फर्न रेजिडेन्सी के पास, शिव रोड़, रातानाडा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.07..20 में उसके द्वारा (1) जिला जिम्नास्टिक्स संघ जोधपुर के चुनाव के संबंध में जिला जिम्नास्टिक संघ जोधपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र, दस्तावेज व अभिलेखों की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 766 दिनांक 18.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर को कार्यालय के पत्रांक 595 दिनांक 26.08.20 द्वारा अन्तरित कर प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि धारा 6(3) के प्रावधानों में लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन में प्रार्थना पत्र में स्थानान्तरित करना चाहिए जबकि 27 दिन बाद अन्तरित किया गया। जिला खेलकूद केन्द्र के प्रभारी अधिकारी जो कि सचिव जिला क्रीड़ा परिषद है तथा जिला कलक्टर के अध्यक्ष जिला क्रीड़ा परिषद होने के कारण सचिव [illegible] क्रीड़ा परिषद अधीनस्थ अधिकारी है अतः अपर जिला कलक्टर [illegible] राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को 27 दिन बाद अन्तरित [illegible] व न्यायाचित नहीं है। चूंकि लोक [illegible] प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार या संबंधित विभाग [illegible]रा की जाती है अतः जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित कर दिया गया तथा इसकी जानकारी अपीलार्थी को होने के बावजूद राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ववाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के विरूद्ध सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई जो क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त योग्य है अतः अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:27:26 IST
Reason: SelfAttested